कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

:–कार्यालय–आदेश–:

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–5/स्थानांतरण/उर्दू/2019–20/दिनांक–29.09.2019/1–163 के तहत् सीमा नागरवाल व्याख्याता, उर्दू राबाउमावि. गूलमण्डी भीलवाडा का स्थानांतरण राउमावि. आसिन्द वार्ड 5 भीलवाडा किया गया । सीमा नागरवाल ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 14818/2019 सीमा नागरवाल बनाम सरकार दायर की गई।

याचिका संख्या 14818/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.19 द्वारा याचिकार्थीया सीमा नागरवाल को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए। याचिकार्थीया के अभ्यावेदन निस्तारण तक माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.092019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थीया के संबंध में स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थीया सीमा नागरवाल द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के अविवाहित महिला होने एवं माता पिता के वृद्धावस्था के होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि टोंक, राउमावि देवली टोंक, राउमावि. निवाई टोंक, राउमावि. चाकसू जयपुर करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीया से प्राप्त संबंधित अभिलेखो एवं नियमों के संदर्भ में याचिकार्थीया द्वारा प्रस्तुत अभिवेदन में की गई मांग का गहनता पूर्वक परिक्षण/मनन एवं विचरण किया गया। याचिकार्थीया की परिस्थितियों मद्देनजर रखते हुए इनका समायोजन राउमावि. आसीन्द वार्ड 5 भीलवाडा से राउमावि. चाकसू जयपुर किया जाता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थीया सीमा नागरवाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है संबंधित सभी पक्षकार सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–5/अभ्यावेदन/सीमा नागरवाल/को.के/18–19/309 दिनांकः–24/10/2019

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
02. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
04. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जयपुर को पालनार्थ
05. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
06. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
08. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि. आसिन्द वार्ड 5 भीलवाडा/ राउमावि. चाकसू जयपुर
09. संबंधित कार्मिक सीमा नागरवाल व्या. उर्दू राउमावि आसिन्द वार्ड 5 भीलवाडा।
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर